पत्र संख्या–11/वि.1–विविध–26/2010 सा.प्र.–4841

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धनाथ राम,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय चयन पर्षद–सह–
पुलिस उप–महानिरीक्षक, एस.सी.आर.बी.,
बिहार, पटना ।

पटना–15, दिनांक–20.03.13

विषय :– **पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की अद्यतन सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपुर्यक्त विषयक आपके पत्रांक–148 दिनांक–19.03.2013 के संबंध में कहना है कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची, जो विभागीय पत्रांक–225 दिनांक–16.01.2007 द्वारा परिचारित है, अद्यतन प्रभावी है।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग की सूची विभागीय पत्रांक–8701 दिनांक–18.06.2012 द्वारा परिचारित है, की प्रति भी आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है, जिसमें निम्न संशोधन किया गया है –

विभागीय संकल्प संख्या–17891 दिनांक–28.12.2012 द्वारा अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–19 से ''**खतवे**'' जाति को विलोपित कर दिया गया है। शेष यथावत् है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(सिद्धनाथ राम)
सरकार के अवर सचिव